

उत्तर प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3
संख्या 6194/60-3-12-2रिट/08
लखनऊ : दिनांक : 09 अगस्त, 2012

कार्यालय-ज्ञाप

अनैतिक व्यापार (निरोधक) अधिनियम, 1956 के अधीन प्राख्यापित उत्तर प्रदेश अनैतिक व्यापार (निरोधक) नियमावली-1993 के नियम-41 के उप नियम-1, 2 एवं 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय राजकीय संरक्षण गृह, (महिला) आगरा के सम्बन्धित सामग्री महत्व के विषयों पर परामर्श आदि प्रदान करने हेतु निम्नलिखित प्रकार से 02 वर्ष हेतु वीक्षक मण्डल (Board of visitors) गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

राजकीय संरक्षण गृह, (महिला) आगरा -

- 1- जिलाधिकारी द्वारा नामित शासकीय सेवा में कार्यरत - अध्यक्ष ।
वरिष्ठ महिला अधिकारी
- 2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित शासकीय सेवा में कार्यरत - सदस्य ।
वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी
- 3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित शासकीय सेवा में कार्यरत- सदस्य ।
वरिष्ठ महिला चिकित्सा अधिकारी
- 4- श्रीमती राजुल कुलश्रेष्ठ, सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य ।
पत्नी श्री संतोष कुमार कुलश्रेष्ठ,
3-4, फर्स्ट फ्लोर, पटेल मार्ग,
राधास्वामी समाधि के सन्निकट,
दयाल बाग रोड, आगरा ।
मोबाइल नं0-9897433062 / 0562-2572446
- 5- श्रीमती मंजू पवार, सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य ।
पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह पंवार,
43 / 15ए / 16, सैक्टर-16,
सिकन्दरा, आगरा ।
मोबाइल नं0-9412516236 / 9760048064
- 6- श्रीमती अंजू शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य ।
पत्नी श्री मुकेश कुमार शर्मा,
11 / 11, रामनगर, कटरा वजीर खां, आगरा ।
मोबाइल नं0-9927067940 / 9359528301

(सदाकान्त) 9/8
प्रमुख सचिव।

संख्या 6/90/60-1-12-2 रिट/08 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, आगरा ।
- 2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , आगरा ।
- 3- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 ।
- 4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा ।
- 5- मण्डलीय उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल ।
- 6- जिला प्रोबेशन अधिकारी, आगरा ।
- 7- उद्धार अधिकारी, आगरा मण्डल, आगरा ।
- 8- संबंधित सदस्यगण ।
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,



(मिश्रीलाल पासवान)
विशेष सचिव ।